

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

पालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट खण्डेला

गंगाराम बनाम विनोद वर्गे

मुकदमा नं० 70 सन् 2018

हुकम	हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तालीम में जारी हुए
10/18	<p>वकील प्रार्थी श्री अजनाशम ने हाजिर अदालत होकर प्रार्थना - पत्र टी० आई० पेश किया। प्रार्थना - पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। रजिस्ट्रन पर बहस वकील प्रार्थी एकपक्षीय सुनी गई। पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया गया एवं बहस वकील प्रार्थी पर मनन किया गया जिनसे प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में पाया जाने पर अप्रार्थीगण को अन्तरिम टी० आई० से पाबन्द किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।</p> <p>अतः अप्रार्थीगण को अन्तरिम अस्बाई विवेचना से आगामी तारीख केही तड पाबन्द किया जाता है कि आप विवादग्रस्त कृषि भूमि ख० नं० 942, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952 तन ग्राम गदीबनपुर तहसील खण्डेला में जमा निमण नहीं करें। प्रार्थी 0.39, R.03 CPC की पालना करें। अप्रार्थीगण को उक्त उल्लेखित करते हुए बसम्म जारी होकर पत्रावली दिनांक 08-11-2018 को पेश हो।</p>	<p>11457-62 R 22/10/18</p>
	<p>8/11/18 पत्रावली मय हुई। यकुलाय फंक्शन उप./अनुपस्थित। पीठासीन अधिकारी की /अन्य कार्य में व्यस्त पत्रावली अन्तिम कार्यवाही हेतु दिनांक 21/11/18 जो पेश हो।</p>	

तारीख हुकम

21/1/18

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरिदकन
उप./अनुपस्थित। पीलसीन अधिकारी कंरे
/अन्य कार्य में व्यस्त पत्रावली अत्रिप
कार्यवाही हेतु दिनांक 23/4/18
को पेश हो।

23/4/18

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरिदकन
उप./अनुपस्थित। पीलसीन अधिकारी कंरे
/अन्य कार्य में व्यस्त पत्रावली अत्रिप
कार्यवाही हेतु दिनांक 30/7/18
को पेश हो।

30/07/19

पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी पेश।
तामील अप्रार्थी अपाए होने के पुनः
सम्मान तलबाना पेश हो, जारी पत्र
पत्रावली दि. 29/08/19 में पेश की

15/10/2020

कोविड-19 संक्रमण के चलते फावली ईलाकाही
पेशीयों से आज पेश हुई। वकील प्रार्थी उप.
ज.पत्र टी.आई. से संबंधित मूल तदपत्र
आज प्रेष किया जा चुका है। ज.पत्र टी.
आई. को आगे चलते में कोई औचित्य
प्राप्त नहीं होगा है। अतः कार्यवाही प्रकण
एही स्तर पर प्रेष किया जाता है। फावली
फैसल शमार होकर नम्बर से कम हो तथा काद
तकमील दाखिल फरत हो। निर्णय खुले न्यायालय
में सुनाया गया।

(राकेश कुमार) RAS
उपखण्ड अधिकारी
खंडेला (सीकर)